मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
"मंत्रालय"
वल्लभ भवन, भोपाल—462004

क्रमांक एफ. 8-2/96/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 30 मई 1997

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में आरक्षण.

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार आरक्षण की निर्धारित सीमा 50 प्रतिशत से अधिक न हो, के अनुपालन में भारत सरकार के अन्तर्गत विभिन्न राष्ट्रीय सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के समान ही विकलांगों के लिये 3 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था. आरक्षण की सीमा को ध्यान में रखते हुए विकलांगों के लिए यह आरक्षण होरिज़ेन्टल के रूप में स्वीकृत किया जा सका, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित वर्ग को मात्र एक-एक पद दिया जाता है तो कुल 4 पद आरक्षित होते हैं. इस कारण 3 प्रतिशत आरक्षण 100 बिन्दु रोस्टर के आधार पर दिया जाना एवं अग्रणित करना व्यवहारिक नहीं है.

2. अतः अब यह निर्णय लिया गया है कि परिपत्र क्रमांक एफ. 3-6/81/सी-1, दिनांक 30-6-81 को अधिक्रमित किया जाय और राज्य शासन के अधीन समस्त कार्यालयों में सीधी भरती के प्रक्रम में भरे जाने वाले द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नेत्रहीन, बधिर तथा अन्य विकलांगों की नियुक्ति के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाये ताकि एक-एक पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों को एवं एक पद अनारक्षित वर्ग को प्राप्त हो सके. शेष दो पद उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में आगामी वर्ष के लिए अग्रणित (केरिफारवर्ड) किये जा सकते हैं.

3. वर्तमान में प्रचलित 100 बिन्दु रोस्टर में इस 6% विकलांग आरक्षण की स्थिति संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(एस. पी. रयाल)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. एफ. 8-2/96/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 30 मई 1997

प्रतिलिपि :

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
   लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.

2. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश, राजभवन, भोपाल,
   सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल.
   सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.

3. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.

4. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उपसचिव (समस्त).

5. अवर सचिव (स्थापना) अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

6. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(जी. एल. अहिरवार)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

परिशिष्ट "अ"

खुली प्रतियोगिता के द्वारा प्रादेशिक स्तर पर भरे जाने वाले पदों के लिये 100 बिन्दु माडल रोस्टर में 6% विकलांग आरक्षण की स्थिति:—

द्वितीय श्रेणी

रोस्टर में बिन्दु क्रमांक (1)	आरक्षित/अनारक्षित (2)	विकलांगों के लिये आरक्षित रोस्टर बिन्दु (3)
16	अनुसूचित जाति	आरक्षित (विकलांग)
33	अनारक्षित	अनारक्षित (विकलांग)
49	अन्य पिछड़ा वर्ग	आरक्षित (विकलांग)
66	अनारक्षित	अनारक्षित (विकलांग)
82	अनारक्षित	अनारक्षित (विकलांग)
99	अनुसूचित जनजाति	आरक्षित (विकलांग)
	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी	
17	अनुसूचित जाति	आरक्षित (विकलांग)
33	अनारक्षित	अनारक्षित (विकलांग)
51	अनुसूचित जनजाति	आरक्षित (विकलांग)
67	अनारक्षित	अनारक्षित (विकलांग)
83	अनारक्षित	अनारक्षित (विकलांग)
100	अन्य पिछड़ा वर्ग	आरक्षित (विकलांग)

हस्ता./-
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.